न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 727/2024

अनवान : –

1. सन्तोष पत्नी श्रवण कुमार जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. रामेती पत्नी पीरदान जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय   दिनांक: 12/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 125/34 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 1.7710 है0 भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 115/115 कुल खसरे 8 की कुल तादादी 1.5180 है0 भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

खाता विभाजन के पश्चात वादीया की रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 125/34 के प0 नं0 365/412 (55) के किला नं. 1/1 की 0.2280 है0 में से मिन उत्तर की 0.015 है0 भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 1 काबिज है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 की रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 115/115 के प0 नं0 365/411 (52) के किला नं. 18 की 0.2530 है0 भूमि में से मिन उत्तर की 0.015 है0 भूमि पर वादीया काबिज है जिसकी वादीया न्यायालय से घोषणा करवाना चाहती है। वादग्रस्त भूमि चक 2 आरएमएस में स्थित है जिसमें वादीया व प्रतिवादीया संख्या 1 की भूमि आपस में चिपती हुई है। वादग्रस्त भूमि का खाता विभाजन के समय से ही कब्जा काश्त के अनुसार ही काश्त करती चली आ रही है लेकिन राजस्व रिकार्ड में यह किले गलत दर्ज हो गये है इसलिए वादीया राजस्व रिकार्ड में मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार दुरूस्त करवा पाने की अधिकारी है।

रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 125/34 के प0 नं. 365/412 (55) के किला नं. 1/1 की 0.2280 है0 भूमि में से मिन उत्तर की 0.015 है0 भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 1 काबिज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम दर्ज है इसी प्रकार रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 115/115 के प0 नं0 365/411 (52) किला नं. 18 की 0.2530 है0 भूमि में से मिन उत्तर की 0.015 है0 भूमि पर वादीया काबिज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीया संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:27:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के नाम दर्ज है इसलिए वादीया मुताबिक कब्जा काश्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी पेश की जो कि शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि का खाता विभाजन किया गया था। खाता विभाजन के पश्चात वादीया की रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 125/34 के प0 नं0 365/412 (55) के किला नं. 1/1 की 0.2280 है0 में से मिन उत्तर की 0.015 है0 भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 1 काबिज है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 की रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 115/115 के प0 नं0 365/411 (52) के किला नं. 18 की 0.2530 है0 भूमि में से मिन उत्तर की 0.015 है0 भूमि पर वादीया काबिज है जिसकी वादीया न्यायालय से घोषणा करवाना चाहती है। वादग्रस्त भूमि चक 2 आरएमएस में स्थित है जिसमें वादीया व प्रतिवादीया संख्या 1 की भूमि आपस में चिपती हुई है। वादग्रस्त भूमि का खाता विभाजन के समय से ही कब्जा काश्त के अनुसार ही काश्त करती चली आ रही है लेकिन राजस्व रिकार्ड में यह किले गलत दर्ज हो गये है इसलिए वादीया राजस्व रिकार्ड में मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार दुरूस्त करवाना चाहती है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 125/34 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 1.7710 है0 भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 115/115 कुल खसरे 8 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:27:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कुल तादादी 1.5180 है0 भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि का खाता विभाजन किया गया था। खाता विभाजन के पश्चात वादीया की रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 125/34 के प0 नं0 365/412 (55) के किला नं. 1/1 की 0.2280 है0 में से मिन उत्तर की 0.015 है0 भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 1 काबिज है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 की रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 115/115 के प0 नं0 365/411 (52) के किला नं. 18 की 0.2530 है0 भूमि में से मिन उत्तर की 0.015 है0 भूमि पर वादीया काबिज है जिसकी वादीया न्यायालय से घोषणा करवाना चाहती है। वादग्रस्त भूमि चक 2 आरएमएस में स्थित है जिसमें वादीया व प्रतिवादीया संख्या 1 की भूमि आपस में चिपती हुई है। वादग्रस्त भूमि का खाता विभाजन के समय से ही कब्जा काश्त के अनुसार ही काश्त करती चली आ रही है लेकिन राजस्व रिकार्ड में यह किले गलत दर्ज हो गये है इसलिए वादीया राजस्व रिकार्ड में मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार दुरूस्त करवाना चाहती है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के उक्त कथनों को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 125/34 के प0 नं. 365/412 (55) के किला नं. 1/1 की 0.2280 है0 भूमि में से मिन उत्तर की 0.015 है0 भूमि वादीया की बजाये प्रतिवादीया संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 115/115 के प0 नं0 365/411 (52) किला नं. 18 की 0.2530 है0 भूमि में से मिन उत्तर की 0.015 है0 भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 की बजाय वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/08/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:27:59 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 727/2024

अनवान : –

1. सन्तोष पत्नी श्रवण कुमार जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. रामेती पत्नी पीरदान जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 727 सन 2024 निर्णय दिनांक 12/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 125/34 के प0 नं. 365/412 (55) के किला नं. 1/1 की 0.2280 है0 भूमि में से मिन उत्तर की 0.015 है0 भूमि वादीया की बजाये प्रतिवादीया संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 115/115 के प0 नं0 365/411 (52) किला नं. 18 की 0.2530 है0 भूमि में से मिन उत्तर की 0.015 है0 भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 की बजाय वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:27:59 IST
Reason: SelfAttested